तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
8/10/25	पत्रावली पेश हुई पक्षकार उप0। पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र वाजदायरी पर बहस की गयी। हमने बहस सुनी। बहस पर मनन किया। प्रा.पत्र, जवाब प्रा.पत्र का अवलोकन किया। प्रा.पत्र, जवाब प्रा.पत्र व वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा की गयी बहस पर मनन करने के उपरांत प्रार्थी प्रा.पत्र वाजदायरी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी प्रार्थनापत्र वाजदायरी पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 8/10/25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस. डी.एम.)

प्रकरण संख्या 103 / 2025
प्रार्थना पत्र दायर दिनांक 23.07.2025
प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 08.10.2025

उनवान

1. रूपली पत्नि रामस्वरूप जाति गुर्जर निवासी गादरवा
राजस्थान।

बनाम

1. सुभाष चन्द पुत्र बद्री प्रसाद निवासी जयपुर, राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलद

प्रार्थना पत्र वाज

प्रार्थिया द्वारा विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र वाजदाय
इस आशय से पेश किया है कि वादिया द्वारा न्यायालय हाजा मे
किया हुआ है जिसमें जिसमें वास्ते तलबी गत तारीख पेशी 04.0
04.2025 को वादिया के अधिवक्ता अपने दीगर मुकदमें बाबत बाह
पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके व वादिया के पुत्र वि
21.03.2025 को आकस्मिक मृत्यु होने के कारण अपने मुकदमे में न
नहीं हो सकी। जिस कारण श्रीमान न्यायालय हाजा द्वारा उनवानी
में खारिज फरमा दिया गया। वादिया को अपने अधिवक्ता द्वारा
उपस्थित होना आवश्यक नही होने बाबत हिदायत दे रखी थी इस
बारे में अपने अधिवक्ता से भी जानकारी नही की वादिया द्वारा अ
को जानकारी की तो वादीगण को अपने अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त उ
पैरवी में खारिज होने बाबत जानकारी दी है। वादिया को अपने
उक्त प्रकरण के अदम हाजरी में खारिज किये जाने की जानकार
हाजा में नकल हेतु दिनांक 11.07.2025 को आवेदन प्रस्तुत किया ग
प्राप्त होने पर वादिया द्वारा बिना किसी विलम्ब के प्रार्थना पत्र वाज
से अन्दर मियाद पेश है। वादिया ग्रामीण परीवेश की महिला है जि
अनुपस्थिति नहीं कि है प्रकरण वादिया की हक हकूक खातेदारी की
के वादपत्र को पुनः नम्बर पर नहीं लिया गया तो वादिया को अपूर्ण
हकूक अधिकारात की भूमि से वंचित हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी
सूरत में वादिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादपत्र

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस. डी.एम.) बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण संख्या 103/2025
प्रार्थना पत्र दायर दिनांक 23.07.2025
प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 08.10.2025

उनवान

1. रूपली पत्नि रामस्वरूप जाति गुर्जर निवासी गादरवाडा गुजरान तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान।

प्रार्थिया/वादिया

बनाम

1. सुभाष चन्द पुत्र बद्री प्रसाद निवासी जयपुर, राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र वाज दायरी

प्रार्थिया द्वारा विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र वाजदायरी जर्ये वकील श्री घनश्याम गुर्जर के इस आशय से पेश किया है कि वादिया द्वारा न्यायालय हाजा में एक वादपत्र उपरोक्त उनवानी प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें जिसमें वास्ते तलबी गत तारीख पेशी 04.04.2025 मुकर्रर थी लेकिन दिनांक 04.04.2025 को वादिया के अधिवक्ता अपने दीगर मुकदमें बाबत बाहर गये हुये होने के कारण तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके व वादिया के पुत्र विजयसिंह पुत्र रामस्वरूप की दिनांक 21.03.2025 को आक्समिक मृत्यु होने के कारण अपने मुकदमे में न्यायालय में तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो सकी। जिस कारण श्रीमान न्यायालय हाजा द्वारा उनवानी वादपत्र को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया। वादिया को अपने अधिवक्ता द्वारा प्रत्येक तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक नही होने बाबत हिदायत दे रखी थी इस कारण वादिया ने अपने वादपत्र के बारे में अपने अधिवक्ता से भी जानकारी नही की वादिया द्वारा अपने अधिवक्ता से दिनांक 11.07.2025 को जानकारी की तो वादीगण को अपने अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त उनवानी वादपत्र के अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होने बाबत जानकारी दी है। वादिया को अपने अधिवक्ता से दिनांक 11.07.2025 को उक्त प्रकरण के अदम हाजरी में खारिज किये जाने की जानकारी होते ही वादीगण द्वारा न्यायालय हाजा में नकल हेतु दिनांक 11.07.2025 को आवेदन प्रस्तुत किया गया व नकल दिनांक 15.07.2025 को प्राप्त होने पर वादिया द्वारा बिना किसी विलम्ब के प्रार्थना पत्र वाजदायदी न्यायालय हाजा में जानकारी से अन्दर मियाद पेश है। वादिया ग्रामीण परीवेश की महिला है जिसने जानबूझकर न्यायालय हाजा में अनुपस्थिति नहीं कि है प्रकरण वादिया की हक हकूक खातेदारी की भूमि से सम्बन्धित है यदि वादिया के वादपत्र को पुनः नम्बर पर नहीं लिया गया तो वादिया को अपूर्णीय क्षति होगी व वादिया अपने हक हकूक अधिकारात की भूमि से वंचित हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी कदर सम्भव नही हो सकेगी ऐसी सूरत में वादिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादपत्र एंव प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र को उसी स्टेज से पुनः नम्बर पर लिया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र वाजदायरी वादिया द्वारा जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत किया गया है फिर भी न्यायालय विलम्ब समझे तो वादिया द्वारा विलम्ब जानबूझकर नहीं किया गया है इसलिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य फरमाया जाना आवश्यक है प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य फरमाये जाने बाबत दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र जुदागाना प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र वाज दायरी स्वीकार फरमाया जाकर वादिया के वादपत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उपरोक्त उनवानी रूपली बनाम सुभाष चन्द को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम इस आशय से उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र वाजदायरी वादिया द्वारा सम्पुष्ट आधारों पर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया है। वादिया को अपने अधिवक्ता से दिनांक 11.07.2025 को उक्त प्रकरण के अदम हाजरी में खारिज किये जाने की जानकारी होते ही वादिया द्वारा न्यायालय हाजा में नकल हेतु दिनांक 11.07.2025 को आवेदन प्रस्तुत किया गया व नकल दिनांक 15.07.2025 को प्राप्त होने पर वादिया द्वारा बिना किसी विलम्ब के प्रार्थना पत्र वाजदायदी न्यायालय हाजा में जानकारी से अन्दर मियाद पेश है। प्रार्थना पत्र वाजदायरी वादिया द्वारा जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत किया गया है फिर भी न्यायालय विलम्ब समझे तो वादिया द्वारा विलम्ब जानबूझकर नहीं किया गया है इसलिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य फरमाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र वाजदायरी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र को अन्दर मयाद स्वीकार फरमाया जाकर सुनवाई किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन करवायी गयी अप्रार्थी संख्या 01 स्वयं उपस्थित आकर जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथन जिस तरह से तहरीर किये है कतई गलत है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय में प्रार्थी जानबूझकर उपस्थित नहीं हुआ है और वाद को खारिज अदम पैरवी में किया गया है। उनका मुख्य कारण विवादित खसरा नं. 1499/134 व खसरा नं. 1500/134 का वाद वदिया के अलावा अपने पुत्र के नाम से आम जनता बनाम सुभाष के नाम से सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है। प्रार्थीया पूर्व में न्यायालय द्वारा संलग्न आदेश खारिज फरमा दिये गये थे। क्योकि प्रार्थीया द्वारा न्यायालय में क्लीन हेड से नहीं आयी थी और न्यायालय को सही तथ्यों को छुपाकर स्थगन ले लिया था। जब न्यायालय को वस्तुस्थिति के बारे में सही जानकारी होने से प्रार्थीया का स्थगन आदेश खसरा नं. 1506/1488 में पुख्ता रहवास बताकर कृषि कार्य हेतु बोरिंग ले रखी है। यह विद्युत कनेक्शन उक्त खसरा नं. 1506/1488 में नहीं है बल्कि अप्रार्थी की लीज में है। जिस पर न्यायालय हाजा को पहले से ही लीज की भूमि में किये गये अतिक्रमण को हटाने के आदेश तहसीलदार को दे रखे है। सिविल न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश अभी तक नहीं दिये जाने के कारण पुनः वाजदायरी न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। वाद प्रथम दृष्टया पूर्व में न्यायालय द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिये आदेश दिये जाने से यह प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं है। इसके अलावा माननीय न्यायालय को धारा 151 एवं ऑर्डर 07 नियम 11 की पालना स्वयं वाद को खारिज फरमाया जा सकता है। अतः श्रीमान् जी की सेवामें जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावें।

हमने प्रार्थना पत्र पर पक्षकार की बहस सुनी। पक्षकार बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र का गौरपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र वाजदायरी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र वाजदायरी न्यायालय में दिनांक 23.07.2025 किया गया है जबकि न्यायालय हाजा द्वारा मूल प्रकरण दिनांक 04.04.2025 को अदम पैरवी में खारिज किया गया है। प्रार्थना पत्र वाजदायरी का निर्धारित अवधि में पेश नहीं किया

Scanned with OKEN Scanner

गया है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में भी प्रार्थिया/वादिया द्वारा ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया है जो विलम्ब को क्षमा किया जावें। अतः वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने, प्रार्थना पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन के आधार पर प्रार्थिया प्रार्थना पत्र वाजदायरी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया प्रार्थना पत्र बाजदायरी पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

08/10/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner